# <u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र०)</u>

<u>प्रकरण क्रमांक 851 / 13</u> <u>संस्थित दिनांक —24 / 09 / 13</u>

म०प्र० राज्य द्वारा, थाना गढ़ी जिला–बालाघाट म०प्र०

..... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

बल्लमदास पिता तिलकदास उम्र 35 वर्ष जाति पनिका साकिन आमगहन थाना—गढ़ी जिला—बालाघाट म०प्र0

..... आरोपी

# ::निर्णय::

# <u> [ दिनांक 17 / 05 / 2017 को घोषित]</u>

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 294, 323, 506 भाग—दो, के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.09. 2013 को समय दिन 04:00 बजे ग्राम आमगहन कच्चारोड अंतर्गत थाना गढ़ी में परिवादी दरबारी को क्षोभ कारित करने के आशय से मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी दरबारीसिंह द्वारा थाना गढ़ी में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 03.09.13 को खेत में रखी लकड़ी लेने गया था तो दो लकड़ी न होने पर उसने करीब चार बजे दिन में गांव के बल्लमदास से लकड़ी के संबंध में पूछताछ की जिस पर बल्लमदास ने चोरी का इंल्जाम लगाने की बात पर उसे मां बहन की गदी—गंदी गालियां देकर अपने फाटक की लकड़ी से दोनो पैरों की पिंडली में मारा जिसके पश्चात आवाज सुनकर उसका लड़का राजेन्द्र भी लकड़ी लेकर आया और गालियां देकर मारपीट की। दोनों आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन

लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण से संपित्ति जप्ती उपरांत आरोपीगण को गिरफतार कर आरोपी बल्लमदास के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जबिक किशोर आरोपी राजेन्द्रदास के विरूद्ध प्रकरण किशोर न्यायालय बालाघाट में पेश किया गया।

2

- 03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में यह प्रतिरक्षा ली है कि उसे पुरानी रंजिश वश झूठा फसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
  - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 03.09.2013 को समय दिन 04:00 बजे ग्राम आमगहन कच्चा रोड अंतर्गत थाना गढ़ी में परिवादी दरबारी को क्षोभ कारित करने के आशय से मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
  - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर प्रार्थी / आहत को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
  - (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर प्रार्थी / आहत को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### ः:सकारण निष्कर्षः:

### विचारणीय प्रश्न कमांक-1

05. परिवादी दरबारीसिंह (अ०सा०—1) का कहना है कि घटना दिनांक 03.09.13 को दोपहर के समय की है। वह खेत में रखी लकड़ी को देखने गया तो देखा कि की लकड़ी वहां पर नहीं थी। खोजबीन करने पर सुबह आरोपी बल्लमदास के घर पर मिली। लकड़ी उसकी होने की बात कहने पर आरोपी ने उसे गंदी—गंदी गालियां दी। साक्षी के अलावा अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने कथन में अभियुक्त बल्लमदास द्वारा गालियां देने अथवा अश्लील शब्द उच्चारित करने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दी है। घट ाटनास्थल गांव की रोड होकर लोक स्थान दर्शित है। लेकिन दरबारीसिंह (अ०सा०—1) ने उच्चारित अश्लील शब्द उसके कथन में नहीं बतलाये हैं और अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। न्याय दृष्टांत— शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता 2005(4)एम.पी.एल.जी.330 तथा बंशी विरुद्ध रामिकशन 1997(2) 224. के अनुसार केवल अश्लील

गालियां धारा—294 भा.दं.सं. के अपराध को गठित नहीं करती। उक्त वैधानिक स्थिति के प्रकाश में यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त बल्लमदास ने परिवादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य को क्षोभ कारित किया।

#### विचारणीय प्रश्न कमांक 2 एवं 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकण एक साथ किया जा रहा है।

परिवादी दरबारीसिंह (अ०सा०–1) का कहना है कि 06. आरोपीगण को जानता है तथा घटना दिनांक 03.09.13 को दोपहर के समय की है। वह खेत में रखी लकड़ी को देखने गया तो देखा कि की लकड़ी वहां पर नहीं थी। खोजबीन करने पर सुबह आरोपी बल्लमदास के घर पर मिली। लकड़ी उसकी होने की बात कहने पर आरोपी ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी और कहा कि लकड़ी उसकी है, फिर उसने लकड़ी से पैर तथा पीठ में चोट पहुंचायी जिसके बाद उसका लड़का राजेन्द्र आया और उसने भी गंदी-गंदी गालियां देकर उसके साथ लकड़ी से मारपीट की। गालियां उसे सुनने में बुरी लगी थीं और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिये थे। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना गढ़ी में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में उसका मुलाहिजा हुआ था। पुलिस ६ ाटनास्थल पर आयी थी। दूसरे दिन उसकी निशांदेही पर मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि पुलिस ने दिनांक 05.09.13 को मौकानक्शा नहीं बनाया था। घटना गांव के रोड पर हुई थी। ६ ाटना के समय बिसनसिंह था तथा आवाज सुनकर अन्य लोग भी इकट्ठा हो गये थे। गांववालों के समझाने पर वह लोग अपने-अपने घर चले गये। पुरानी रंजिश के कारण उक्त विवाद हुआ था और गांववालों के समझाने पर दूसरी ध ाटना नहीं हुई। वह परिवार एवं गांव के लोगों के साथ जिसमें बी.डी.सी. बक्कलसिंह धुर्वे भी था, थाने में रिपोर्ट करने गया था परंतु बक्कलसिंह ने ६ ाटना नहीं देखी थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को अस्वीकार किया है कि प्रानी रंजिश होने के कारण उसने आरोपी के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी थी। साक्षी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। साक्षी के कथनों और प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास या लोप नहीं है तथा घटना के संबंध में साक्षी की साक्ष्य अखण्ड़नीय है।

बिसनसिंह (अ0सा0-8) का कथन है कि वह आरोपीगण तथा 07. आहत को जानता है एवं घटना उसके साक्ष्य देने से करीब तीन वर्ष पूर्व शाम करीब 04:00 बजे ग्राम आमगहन भगवंत के घर के पास की है। घटना के समय आरोपी बल्ल्मदास दरबारीसिंह को लकड़ी से मार रहा था। फिर उसने जाकर झगड़े में बीच बचाव किया था। जिसके बाद आरोपी बल्लमदास अपने ध ार चला गया । घटना में दरबारीसिंह को पीठ पर चोट आयी थी। जिसके बाद उसने दरबारीसिंह को ले जाकर उसके घर छोड़ दिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बल्लमदास द्वारा दरबारीसिंह को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के तथ्यों से इंकार किया है। साक्षी ने राजेन्द्रदास द्वारा दरबारीसिंह को लकड़ी से मारने की बात से इंकार कर कथन किया है कि झगड़े में बल्लमदास तथा उसका लड़का दोनों थे परंतु उसने राजेन्द्रदास को मारते हुए नहीं देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष कोई ध ाटना नहीं हुई थी और वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी के कथन है कि उसने बल्लमदास को मारते हुए देखा था। इस प्रकार साक्षी के कथनों से परिवादी से मारपीट की पुष्टि होती है। उक्त संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है। जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। घटना के अन्य साक्षी लालमनीबाई (अ0सा0-2) तथा भगवंतसिंह (अ0सा0-3) पक्षद्रोही रहे हैं, जिन्होंने घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारि होने से इंकार कर पुलिस को बयान न देना व्यक्त किया।

4

08. नंदू यादव (अ०सा०—4) का कथन है कि घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग डेढ़ से दो वर्ष पूर्व की है। पुलिस ने उसके समक्ष बल्लमदास से प्र.पी.03 के अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। राजेन्द्रदास से जप्त होने की उसे जानकारी नहीं है परंतु प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष बल्लमदास और राजेन्द्रदास को गिरफतार नहीं किया था परंतु गिरफतारी पत्रक प्र.पी.05 एवं 06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसने जप्ती पत्रक तथा गिरफतारी पत्रक पर थाने में दस्तखत किये थे। जिन्हें उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था वह जल्दबाजी में था। उसे दस्तखत करने के लिए कहा गया तो वह दस्तखत कर चला आया। जप्तशुदा लकड़ी थाने में कौन कहां से लाया वह नहीं बता सकता। जप्ती

शा0 वि0 बल्लमदास

गिरफतारी साक्षी परसराम (अ०सा०—७) पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है। जिसने उसके समक्ष किसी प्रकार की कोई जप्ती और रिगफतारी की कार्यवाही से इंकार कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं 04 तथा गिरफतारी पत्रक प्र.पी.05 एवं 06 के दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर नहीं होना व्यक्त किया। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

09. डां. एन.एस.कुमरे (अ०सा०—6) का कथन है कि दिनांक 04.09.13 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में थाना गढ़ी से आरक्षक सोनसिंह कमांक 456 द्वारा आहत दरबारीसिंह को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा परीक्षण कर दाहिने पैर और बायें पैर पर कंटीयूजन एवं पीठ पर बांयी तरफ एब्रेजन पाया था। बायें पैर की चोट हेतु एक्सरे की सलाह दी गयी थी। शेष चोट साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की थी तथा कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित थीं। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत का एक्सरे करवाया गया था जो आर्टीकल ए—1 है जिसमें उसने किसी प्रकार का अस्थिमंग नहीं पाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इंकार किया है कि उक्त चोटें कड़ी व खुरदुरी सतह पर गिरने से आ सकती हैं। उक्त साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय आहत को उसके बताये अनुसार चोटों की पृष्टि होती है।

जी.एल.चौधरी (अ0सा0-5) का कथन है कि दिनांक 04.09.13 को 10-थाना गढ़ी में पदस्थापना के दौरान सूचनाकर्ता दरबारीसिंह की सूचना पर आरोपी बल्लमदास के विरूद्ध अपराध क्रमांक 48/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लेख की गयी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा आहत दरबारीसिंह का मुलाहिजा फार्म प्र.पी.07 भरकर सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर भिजवाया था। दिनांक 05.09.13 को दरबारीसिंह की निशांदेही पर मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था। दिनांक 16.09.13 को आरोपी बल्लमदास से गवाह नानुदास, परसराम गौतम के समक्ष एक बांस की लकड़ी तीन फिट गोलाई 3.6 इंच प्र.पी.03 के अनुसार जप्त की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी बल्लमदास के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजेन्द्रदास से एक बांस की लकड़ी प्र.पी.04 के अनुसार जप्त की थी जिसके बी से बी भाग पर आरोपी राजेन्द्रदास के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण राजेन्द्रदास एवं बल्लमदास को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी.05 एवं 06 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपीगण के

हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान दरबारीसिंह, भगवंत, लालमणि, बिसनसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन थाना प्रभारी को पेश कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे प्रार्थी ने लिखित रिपोर्ट दी थी तथा उसने प्रार्थी के बताये अनुसार दर्ज न कर रिपोर्ट अपने मन से दर्ज किया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि मौकानक्शा प्र.पी.02 थाना बैहर में बैठकर बनाया गया था और गवाहों के कथन अपने मन से लेख किये गये थे। यद्यपि जिप्त तथा गिरफतारी साक्षी नंदू यादव अ०सा०4 एवं परसराम अ०सा०7 पक्षद्रोही रहे हैं। तथािप विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है। जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। क्योंिक आरोपी से विवेचक साक्षी का कोई विद्वेष दर्शित नहीं है।

6

- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा घटना के संबंध में यह तर्क 11. किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में आरोपी से पुरानी रंजिश के कारण वर्तमान विवाद होना स्वीकार किया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि पुरानी रंजिश वश परिवादी द्वारा अभियुक्त को झूठा फसाया गया है। परिवादी दरबारी अ0सा01 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 के अवलोकन से रंजिश के संबंध में उसकी स्वीकृति दर्शित होती है। परंतु वर्तमान घटना के संबंध में परिवादी की साक्ष्य अखण्डनीय है जिसकी अन्य अभियोजन साक्ष्य से भी पुष्टि होती है। पुरानी रंजिश दो धारी तलवार की तरह है जिसका प्रयोग यदि परिवादी द्वारा अभियुक्त को फसाने के लिए किया जा सकता है तो अभियुक्त द्वारा भी उसका लाभ लेकर ऐसी घटना कारित की जा सकती है जिससे उक्त तर्क से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जहां तक बचाव पक्ष के प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का तर्क है, उक्त संबंध में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का जो कारण दिया गया है वह उचित है क्योंकि घटनास्थल से थाने की दूरी करीब 14कि.मी. है। घटना शाम करीब चार बजे की है तथा घटना के दौरान परिवादी को पैर में चोटें आना दर्शित हैं। परिवादी के गांव से पुलिस थाना गढ़ी तक दिन के पश्चात आवागमन के समुचित साधन दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पुरानी रंजिश वश विचार विमर्श के पश्चात दर्ज की गयी। क्योंकि साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी अभियुक्त द्वारा ऐसे कोई तथ्य नहीं लाये गये हैं। फलतः उक्त तर्क से भी अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।
- 12. परिवादी दरबारीसिंह अ०सा०१ की साक्ष्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.०१ से उसकी पुष्टि, डां.कुमरे अ०सा०६ की चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी

दरबारी के चोटों की पुष्टि, साक्षी बिसनसिंह अ0सा08 की साक्ष्य से परिवादी के कथनों की आंशिक पुष्टि से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभुयक्त बल्लमदास ने परिवादी दरबारीसिंह को लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की।

- 13. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। परिवादी दरबारी अ0सा01 ने अभियुक्त बल्लमदास तथा किशोर आरोपी राजेन्द्र द्वारा जाते—जाते जान से मारने की धमकी देने के कथन किये हैं। परंतु साक्षी ने ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं जिससे यह दर्शित हो कि आरोपी के उक्त कथनों से उसे किसी प्रकार का अभित्रास कारित हुआ हो। परिवादी के आचरण से भी ऐसा दर्शित नहीं है। न्याय दृष्टांत—अमृल्य कुमार बेहरा विरुद्ध नबधना बेहरा 1995 सी.आर.एल.जे.3559(उडीसा). के अनुसार अभित्रास कारित करने के लिए किसी आशय के बिना शब्दों की मात्र अभिव्यक्ति धारा—506 भा. दंगंस० को काम में लाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। परिवादी के अलावा किसी भी अन्य साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा परिवादी दरबारीसिंह को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 14. अतः अभियुक्त को धारा—294, 506 भाग—दो भा0द0सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. अभियुक्त को धारा—323 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है।
- 16. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त को सुनने के लिए निर्णय स्थिगत किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर बालाघाट म0प्र0

17. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण विगत चार वर्षों से लंबित है, जिसमें वह नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है। वह प्रथम अपराधी हैं तथा परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है जिस पर सम्पूर्ण परिवार आश्रित है। अतः उसके विरूद्ध नर्म रूख किया जावे। तर्को पर विचार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण विगत चार वर्षों से

न्यायालय में लंबित है। जिसमें अभियुक्त उपस्थित होता रहा है। लेकिन उसने जिस तरह से मामुली विवाद पर परिवादी को मारपीट कर उपहित कारित की है उसे देखते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना या उनके विरूद्ध नर्मरूख लिया जाना उचित नहीं होगा। अपितु उसेक एक शिक्षाप्रद दण्ड देना उचित होगा।

8

- 18. अतः अभियुक्त बल्लमदास पिता तिलकदास को धारा—323 भा0द0सं0 में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000 / (एक हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 19. अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं०प्र०सं० के तहत परिवादी दरबारीसिंह पिता सहदेव उइके को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 20. प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं रहा है। इसके बारे में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर लगाया जावे।
- 21. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बांस की लकड़ी मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 22. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 23. अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा 363(1) दं0प्र0सं0 के तहत निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)